प्रेस विज्ञप्ति
20/2/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने श्री एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में सुश्री रूमी कलिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी और उनकी फर्म मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित पांच आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, जालंधर के समक्ष 19.02.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, लुधियाना द्वारा बीएनएसएस, 2023 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अब तक की गई जांच से पता चला है कि आठ अन्य साइबर अपराधों से उत्पन्न आगम भी 28.08.2024 को मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खाते में जमा की गई थी।

ईडी की जाँच में पता चला कि श्री एस पी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकारियों के रूप में छल करने वाले धोखेबाजों ने उनसे 7 करोड़ रुपये वसूले। अपराध से प्राप्त आगम शुरू में मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों में जमा की गई थी। मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खाते गुवाहाटी के आरोपी रूमी कलिता और कानपुर के अर्पित राठौर द्वारा नियंत्रित किए गए थे। अपराध से प्राप्त आगम को तेजी से भेजने के लिए आरोपी द्वारा 'एएमएम फॉरवर्ड' नामक एक एपीके एप्लिकेशन का उपयोग किया गया था। अर्पित राठौर ने कंबोडिया, वियतनाम आदि के लोगों को विभिन्न म्यूल बैंक खाते प्रदान किए थे और उसे अपने बाइनेंस खाते में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी) के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ था।

अपराध से प्राप्त आगम को बाद में एक व्यवस्थित तरीके से कई म्यूल बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे साइबर अपराध से प्राप्त आगम को निकालने और छिपाने में आसानी हुई। अपराध से प्राप्त आगम का एक हिस्सा विभिन्न म्यूल संस्थाओं के माध्यम से और परतदार किया गया और व्यापार-आधारित धन शोधन तंत्र को अपनाकर भारत के बाहर भेजा गया। अपराध से प्राप्त शेष आगम को 2 से 5 लाख रुपये की सीमा में विभिन्न म्यूल बैंक खातों में छोटी-छोटी राशि में स्थानांतरित कर दिया गया और इन बैंक खातों से तुरंत नकदी निकाली गई। नकदी का उपयोग वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया और कमीशन रखने के बाद इन वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को विदेशी नागरिकों के खातों में जमा कर दिया गया। ये म्यूल खाते आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ऋण की व्यवस्था करने या रोजगार प्रदान करने के झूठे वादे करके खोले गए थे।

इससे पहले भी ईडी द्वारा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके द्वारा 1.76 करोड़ रुपये की कुर्की प्रोविजनल रूप से की गई थी। 31.01.2025, 22.12.2025 और 31.12.2025 को तलाशी ली गई थी और मामले में आरोपी सुश्री रूमी कलिता को 23.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी अर्पित राठौर को भी 31.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था और दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच जारी है।